

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2013/7419

दिनांक १९/१०/१३

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2013 होने के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों के किसी भी तरह के अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही दी जा सकेगी।


अतः कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश का उपभोग करें। ऐसा न करने पर अनुशनात्मक कार्यवाही की जावेगी, इसके साथ ही जो अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी पूर्व से अवकाश पर है। वे इसकी सूचना विश्वविद्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को आवश्यक रूप से देवें तथा कार्यालय में उपस्थिति दें।



कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप/सहा० कुलसचिव (प्रशा०), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर।
6. नोटिस बोर्ड पर चम्पा हेतु।
7. विश्वविद्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित हेतु।



उप/सहा० कुलसचिव (प्रशा०)